केन्द्रीय कटाई उपरान्त इंजीनियरी एवं प्रोद्यौगिकी संस्थान

लुधियाना/अबोहर

Central Institute of Post Harvest Engineering & Technology LUDHIANA/ABOHAR.

अर्जित छृट्टी की अर्जी का फार्म

FORM OF APPLICATION FOR EARNED LEAVE

1.	प्राथी का नाम			
	Name of applicant			
2.	पिता/पति का नाम			
_	Father's/Husband Name			
3.	लागू होने वाली छृट्टी नियमावली Leave Rules applicable			
4.	पद			
	Post held			
5 .	विभाग कार्यालय और अनुभाग :			
	Department, office & section			
6.	वेतन			
	Pay			
7.	वर्तमान पद पर मिलने वाला मकान किराया			
	भत्ता सवारी भत्ता या अन्य प्रतिकर भत्ता			
	House Rent allowance, conveyance allowance,			
	or other compensatory allowance drawn in the p	present post		
8.	मांगी गयी छुट्टी की किस्म, अवधि और			
	उसे भुरु होने की तारीख			
	Nature and period of leave applied for and			
	date from which required	, in the second		
9.	रविवार और छुट्टी के दिन यदि कोई हो जिन्हें			
	छुट्टी से पहले/बाद में जोड़ना चाहता है।			
	Sundays and holidays if any, proposed to be			
	prefixed/suffixed to leave			
10.	छुट्टी मांगने का कारण			
	Ground on which leave is appled for			
11.	पिछली छुट्टी से लौटने की तारीख और उस			
	छुट्टी की किस्म तथा अवधि			
	Date of return from last leave and			
	the nature and period of that leave.			
12.	मेरा विचार आगामी छुट्टी में	के ब्लाक वर्षा के लिए छुट्टी यात्रा		
	की रियायत लेने का हैं/नही हैं ।	, 90		
	I propose/do not propose to avail myself of leave during the ensuing leave.	ve travel travel concession for the block years		

- 13. मैं वचन देता हू कि ओसत वेतन छृट्टी/परिवर्तिन छृट्टी की अवधि में लिए गये छृट्टी वेतन और आध औसत वेतन/आधे वेतन की छृट्टी से मिलने वाले वेतन के अन्दर की उस रकम को वापस कर दूंगा जो छृट्टी की समाप्ति। पर अथवा उसके दौरान मेरे सेवा कित होने की स्थिति मे। मूल नियम 31(ख) (2)/सशीधित छृट्टी नियमावली, 1993 के नियम 2 (ग) (3) के लागू न होने पर अनृमत्य न होती। I undertake to reund the difference between the leave salary drawn during leave on half sverage pay/commuted leave/a nd that admissible during leave on half average pay/half pay leave which would not have been admissible had to proviso to F.R. 81 (b) (II)/rule ii(c) (iii) of the Revised Leave Rules 1933 not been applied in the even of my retirement from service at the end or during the curency of the leave.
- 14. मैं वचन देता हूं कि मेरे स्वेच्छा से सेवा निवृत होने या सेवा से त्यागपत्र देने तक यदि मैं कम से कम आधे वेतन की उतनी छृट्टी अर्जित न कर सकू जितनी अग्रिम छृट्टी मैंने ली है तो मैं भग्रिम छृट्टी के दौरान जो मूल नियम 81(ग)/संशोधित छृट्टी नियमावली, 1933 के नियम 2 (घ) के लागू न किये जाने पर मुझे न मिल पाती, मिले छृट्टी के वेतन को वापस कर दूगा ।

 I undertake to refund the leave salary draw during "leave not due" which would not have been admissible had F.R. 81 (c)/Rule 11 (b) of the Revised Leave Rules, 1933 not been applied in the of my voluntary retirement or resignation from service at any time unitl I earn half pay leave not less than the amount of leave not due availed of by me.

	leave not due availed of by me.			
15.	आवेदक का छृट्टी के दौराद पता Leave address of the applicant			
	तारीख : Date:	प्रार्थी के हस्ताक्षर Signature of applicant		
	विभाग/उपविभाग ध्यक्ष/इकाई अध्यक्ष की सिफारिश : Recommandation of Head of Div./Sention/Unit तारीख/Date	हस्ताक्षर/Siganture		
	•	पदनाम / Designation		

छृट्टी की स्वीकार्यता के बारे में प्रमाण-पत्र CERTIFICATE REGARDING ADMISSIBILITY

16.	तप्रमाणित किया जाता है कि	ने	से	
तक	दिन के वि	रेए	नियमावली के नि	नेयम
	के अधीन	(ਚੁट्टी	की किस्म) स्वीकार्य हैं।	
	Certified that		(Nature of le	ave)
for	from	to)	is
admis	ssible under rule	of the	Rules (period).	
	तारीख/Date		हस्ताक्षर/Siganture	
			पदनाम/Designation	
17.	मंजूरीदाता प्राधिकारी के आदेश :			
	Orders of he sanctioning authority			
	तारीख/Date		हस्ताक्षर/Siganture	
			पदनाम/Designation	